[PESA ACT] पेसा एक्ट के प्रावधानों का वर्णन कीजिये [आदिवासी कानून]

भारत में यह कानून सन् 1996 में बना था (The provisions of Panchayats या Extension To Scheduled Areas नाम से भी जाना जाता है यह कानून पंचायतों का अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार के लिए अनुसूचित क्षेत्र जहां आदिवासियों की जनसख्या अधिक हो वहां लागू होता है इस लेख में पेसा एक्ट (**PESA ACT)** के प्रावधानों को समझेंगे |

पेसा एक्ट के प्रावधान :-

1- प्रत्येक गाँव की एक ग्राम सभा/ पंचायत होगी जो लोगों की प्रथा, परंपरा रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक प्रबंधन के परंपरागत विधि का संरक्षण करेगी |
2- यदि किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है जो उनके संदर्भ में राज्य सरकार क्या विधानसभा कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो परंपरागत पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध हो |
3- अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा/ पंचायत को व्यापक अधिकार है इसलिए राज्य सरकार जनजातियों के पारंपरिक कानून, प्रथा, और रीति रिवाज को ध्यान में रखकर ही कोई कानून बनाएगी |
4- अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा तथा उसका अधिकार होगा कि वह भी फैसले लेगा वह पंचायत को मान्य होंगे (इस अध्यक का चुनाव नहीं होता है)|
5- निर्वाचित मुखिया नहीं होगा, लेकिन परंपरागत मुखिया होगा| मुंडा/ मानकी/ पाहन/ महतो होना अनिवार्य है |

पेसा एक्ट के चुनावी/ खनन/ इंडस्ट्रीज/प्राइवेट प्रोजेक्ट प्रावधान :-

1- ग्राम सभा में ST के लिए सीटों का आरक्षण जिसमें कुल सीटों का 50% आदिवासियों के लये रिजर्व रहेगी यह भी कानून के ड्राफ्ट में लिखा गया इसके साथ-साथ यदि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी जमीन का अधिकरण हो रहा है जैसे- (सरकारी प्रोजेक्ट, या प्राइवेट प्रोजेक्ट या फिर फिर किसी तरह की इंडस्ट्री) तो ग्राम सभा या या पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है |
2- अनुसूचित क्षेत्र में खनिज संसाधन/ खनन/ वन संपदा/प्राकृतिक चीज का ownership ग्राम सभा अतः अनुसूचित क्षेत्र में इन सभी के लाइसेंस के लिए पंचायत टिकिया ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है|
3- यदि अनुसूचित क्षेत्र में कोई जमीन अतिक्रमण कर रहा है तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और गौर- क़ानूनी तरीके से कोई जमीन हथियाने पर, ग्राम सभा उसे उस जमीन को वापस दिला सकता है |

JOURNALISMOLOGY

4- पेसा एक्ट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के साथ ही घोषित हुआ था इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी सरकार का कानून निष्क्रिय रहेगा जो पेसा एक्ट के अनुरूप नहीं होगी |

झारखंड में हुआ पेसा एक्ट का उल्लंघन :-

1- हाल ही में, झारखंड में पेसा एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है |
2- झारखंड में सन् 2001 में पंचायती राज का कानून बनता है |एवं अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत 22 प्रावधानों में से केवल 7 प्रावधानों को ही सामिल किया जाता है |
3- पंचायती राज कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के शेष 15 प्रावधान लागू ही नहीं होते है उनके स्थान पर सामान्य प्रशासन के प्रावधान लागु हो जाते है|
4- आदिवासियों के संस्कृति, परंपरा,रीति रिवाज, ग्राम सभा प्रशासन इत्यादि को बचाए रखने के लिए पेसा एक्ट के सारे 22 प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना अतिआवश्यक है |

झारखंड में कितने प्रखंड तथा जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते है ?

कानून जनजातियों की अपनी प्रथा तथा अपने कानून होते है वर्तमान में झारखंड में 13 जिलों के 131 प्रखंड के 2024 ग्राम पंचायत पूर्णतया अनुसूचित क्षेत्र में आते है|

झारखंड में 13 अनुसूचित जाति के जिले कौन- कौन से है ?

पाकुड़, दुमका, जामताड़ा,लातेहार, रांची,खूंटी,गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा,पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला शामिल हैं तथा पलामू, गढ़वा एवं गोड्डा आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है यानी इन क्षेत्रों में एक आध पंचायत या प्रखंड ही शेड्यूल एरिया में शामिल है |

History of PESA ACT 1996 पेसा अधिनियम 1996

यदि भारत के इतिहास को देखें तो पता चलता है विश्व का सबसे पुराना इतिहास भारत का ही है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व से, इस देश में मिले अवशेषों से इतिहास की जानकारी मिलती है | वहीँ दूसरी तरफ जब भारत देश में मुस्लिम राजाओं का शासन था उस समय पुलिस नहीं हुआ करती थी, यदि कुछ नियम कानून बनाने होते थे तो वह जगह का राजा ही बनाया करता था, मुस्लिम राजाओं के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया उसने भारत को 200 वर्ष तक गुलाम बनाये रखा, अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री

JOURNALISMOLOGY

के रूप जवाहलाल नेहरु जी शपथ ली | इस लेख में 1996 में बने पेसा (PESA ACT) अधिनियम को समझेंगे |

पेसा अधिनियम क्यों और कब बनाया गया :-

1- वर्ष 1992 में, भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन हुआ |
2- पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ |
3- लेकिन Shedule Area (अनुसूचित क्षेत्र) में लागु नहीं होगी और कहा जाता कि अगर लागू होगा तो पर्याप्त Modification के बाद होगी |
4- क्योकि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन देश के सामान्य से हमेसा भिन्न रहा है |
5- अंग्रेजों के समय से ही इस बात का ध्यान रखा गया कि आदिवासियों का प्रशासन देश के शासन से कुछ हद तक भिन्न हो जीसे आदिवासियों की संस्कृति, परम्परा, रीति रिवाज, एवं प्रशासन में किसी भी प्रकार आघात न हो |

73वाँ संविधान संशोधन में तय होता कि जो 5वीं अनुसूची शामिल 10 राज्य है उनमें 73 वाँ संशोधन का प्रभाव नहीं रहेगा क्योकि यह सभी अनुसूचित क्षेत्र के है और अनुसूचित क्षेत्र में परंपरागत शासन व्यवस्था होती है |

आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र , उड़ीसा राजस्थान तथा तेलंगाना है |

पेसा अधिनियम में भूरिया कमेटी/ समिति का गठन :-

जब भारत में 73वाँ संशोधन के दौरान आंदोलन हो रहे थे तो उस समय की सरकार ने एक कमिटी का गठन किया जिसका नाम दिलीप सिंह भूरिया समिति रखा गया क्योकि इस कमेटी की अध्यक्षता दिलीप सिंह भूरिया कर रहे थे जिन्होंने कुछ सुझाव दिए |

जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में परम्परागत शासन व्यवस्था को ही लागू करवा कर संरक्षित करना चाहिए |

1996 में भूरिया कमेटी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक संसद में पेश होता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक पेसा अधिनियम कानून में बदल जाता है |

JOURNALISMOLOGY

कानून :- अनुसूचित क्षेत्र में जो परम्परागत शासन व्यवस्था (Traditional Panchayat system) है उसे संरक्षित करना है और उस क्षेत्र में परम्परागत शासन वो वहीँ की परम्परा और रीति रिवाज के अनुसार संचालित करना है |

PESA ACT क्या है?

भारत में यह कानून 1996 में बना था इसका फुल फॉर्म (The provisions of Panchayats) Extension To Scheduled Areas / (पंचायतों का अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) / shedule area /अनुसूचित क्षेत्र जहां आदिवासियों की जनसख्या अधिक हो|

अनुसूचित जाति में आने वाले राज्य कौन- कौन से है?

भारत देश में 10 ऐसे राज्य है जो अनुसूचित जाति में आते है जोकि इस प्रकार हैं -आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र , उड़ीसा राजस्थान तथा तेलंगाना है |

JOURNALISMOLOGY